

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:- सुरेशचन्द्र

विपक्षी:- रत्ता

किस्म मुकदमा:- प्रा.पत्र

पत्रावली संख्या:- 17/18

दिनाक:-09.12.2019

पत्रावली पेश आज हुई प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुये प्रकरण का अवलोकन किया गया पत्रावली 2018 से विपक्षी की तामिल में है, प्रकरण का मूल वाद 24/18 वाद तामिल के अभाव में आदेश 9 नियम 5 में खारिज होने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः इस पत्रावली को इसी स्टेज पर तामिल के अभाव में खारिज ककिया जाता है। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा- उदयपुर

